भारतीय मानक ब्यूरो

(डीडीजीए सचिवलाय)

हमारा संदर्भ: डीडीजीए सचि./1:4

दिनांक: 23 मार्च 2021

कार्यालय नोट

यह देखा गया है कि कुछ अवसरों पर गतिविधि प्रमुख और उनके अधीन विभाग प्रमुख बिना किसी पूर्व सूचना के छुट्टी पर होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अति आवश्यक मामले में असुविधा होती है।

2. सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक - बीआईएस) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि उनके अंतर्गत आने वाले गतिविधि प्रमुख और विभाग प्रमुख भविष्य में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना छुट्टी पर नहीं रहेंगे।

श्रीमा राय)

उपनिदेशक सामान्य (प्रशासन)

बीआईएस मुख्यालय के सभी विभागों/एनआईटीएस/केन्द्रीय प्रयोगशाला/क्षेत्रीय/शाखा /उप-शाखा कार्यालयों/ प्रयोगशालाओं को बीआईएस इंट्रानेट और बीआईएस वेबसाइट के माध्यम से परिचालित

BUREAU OF INDIAN STANDARADS

(DDGA Secretariat)

Our Ref: DDGA Sect./1:4

Dated: 23 March 2021

OFFICE NOTE

It has been viewed that on certain occasion the Activity Heads and HODs of the departments under them are on leave at the same time without prior information

which results in inconvenience in attending to urgent matter.

2. It has been directed by the competent Authority (DG-BIS) that henceforth the Activity Heads and the HODs of the departments under them, should not remain on

leave at the same time without prior approval of the Competent Authority.

(Roma Roy)

Deputy Director General (Admn.)

Circulated through BIS Intranet and BIS website:

To all the Departments at BISHQ/NITS/Central Lab/ Regional Offices/Branch Offices/Sub- Branch Offices/ Labs